

## डाकघर वधियक, 2023

### प्रलिस के लयि:

[डाकघर अधनियम, 1898](#), [सारवजनकि वयवसथा](#), [आपातकाल](#), [सारवजनकि सुरक्षा](#), [भु-राजसव](#), [वाक् और अभवियकतकी सवतंतरता](#), [नजिता का अधिकार](#)

### मेन्स के लयि:

डाकघर वधियक, 2023 का महत्त्व

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रस्तुत कयि गए **डाकघर वधियक, 2023** का उद्देश्य **भारतीय डाकघर अधनियम, 1898** को नरिसति करना है, जो **125 वर्षों** से अस्तित्व में है।

- यह अधनियम **केंद्र सरकार** के एक वभिगीय उपक्रम **भारतीय डाक** का वनियमन करता है। उक्त वधियक के तहत **आपातकालीन** अथवा **सारवजनकि सुरक्षा** के हति में अथवा कसि भी उल्लंघन की घटना पर **केंद्र** को कसि भी वस्तु को **रोकने**, **खोलने** अथवा **हरिसत** में लेने एवं **सीमा शुल्क अधिकारियों** को **सौपने** का अधिकार दयि जाएगा।

## वधियक की मुख्य बातें क्या हैं?

- डाक अधिकारी कसि भी वस्तु को "अंतरुद्ध" कर सकते हैं:**
  - यह वधियक **केंद्र** को **राज्य की सुरक्षा**, **वदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों**, **सारवजनकि वयवसथा**, **आपातकाल**, **सारवजनकि सुरक्षा** अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के हति में कसि भी अधिकारी को **"कसि भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हरिसत में लेने"** का अधिकार देने की अनुमत प्रदान करता है।
  - यह उपबंध डाक अधिकारियों को डाक वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौपने की भी अनुमत देता है यद उनहें संदेह हो क उनमें कोई नषिद्ध वस्तु है अथवा यद ऐसी वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा सकता है।
- डाकघर को दायतिव से छूट:**
  - यह वधियक **डाकघर** तथा उसके **अधिकारी** को "डाकघर द्वारा प्रदान की गई कसि भी सेवा के दौरान वस्तु की कसि भी **हानि**, **गलत डिलीवरी**, **देरी** अथवा **कषता** के कारण **कसि भी दायतिव से छूट** देता है, सविय ऐसे दायतिव के जो नरिधारति कयि जा सकता है।"
- दोष और दंडों की समाप्ति:**
  - यह वधियक **1898 अधनियम** के तहत **सभी दोष और दंडों को समाप्त** करता है।
    - उदाहरणार्थ डाकघर के अधिकारियों द्वारा कयि गए अपराध जैसे **कदाचार**, **धोखाधडी** तथा **चोरी** सहति अन्य अपराधों को **पूर्ण रूप से से हटा दयि गया** है।
    - यद कोई वयकत डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाने के लयि शुल्क का भुगतान करने से **इनकार** करता है अथवा **उपेक्षा** करता है तो ऐसी राश विसूली योग्य होगी जैसे कयिह **उसे देय भु-राजसव** का बकाया हो।
- केंद्र की वशिष्टता हटाना:**
  - वर्तमान वधियक के तहत **1898 के अधनियम की धारा 4** को हटा दयि गया है, जो केंद्र को सभी पत्रों को डाक से भेजने का वशिष्ट वशिषाधिकार प्रदान करता था।
    - हालाँक कुरयिर सेवाएँ अपने कोरयिर को **"पत्र"** के स्थान पर केवल **"दस्तावेज़"** एवं **"पारसल"** कहकर **वर्ष 1898** के अधनियम की अवहेलना कर रही हैं।
- नजि कूरयिर सेवाओं पर नयितरण:**
  - 2023 वधियक** पहली बार **नजि कूरयिर सेवाओं** को अपने दायरे में लाकर उनहें **नयितरति** करता है।

## वधियक की समीक्षा क्या है?

- यह वधियक भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को नरिदष्टि नहीं करता है।
  - सुरक्षा उपायों की कमी से वाक और **अभिवियक्ती की स्वतंत्रता** व व्यक्तियों की नजिता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- अवरोधन के आधारों में आपात्कालीन स्थितियों शामिल हैं, जो उचित प्रतर्बिधों से परे हो सकती हैं।
- यह वधियक भारतीय डाक को डाक सेवाओं में चूक के लिये दायतिव से छूट देता है।
  - उत्तरदायतिव केंद्र सरकार द्वारा नयिमों के माध्यम से नरिधारति कया जा सकता है, जो भारतीय डाक का प्रशासन भी करती है। इससे हतियों का टकराव हो सकता है।
- वधियक में किसी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं है।
  - किसी डाक अधिकारी द्वारा डाक लेखों को अनाधकृत रूप से खोलने पर कोई परणाम नहीं होगा। इससे उपभोक्ताओं की नजिता के अधिकार पर प्रतर्किल प्रभाव पड़ सकता है।

## आगे की राह

- मज़बूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करना:
  - भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का परचिय दीजयि। इसमेंभाषण, अभिवियक्ती की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की नजिता के अधिकार की रक्षा हेतु नरिीक्षण तंत्र, न्यायकि वारंट तथा संवैधानकि सदिधांतों का पालन शामिल होना चाहयि।
- अवरोधन के लिये आधार परभाषति करना:
  - अवरोधन के आधारों को परषिकृत और स्पष्ट रूप से परभाषति करना, वशिष रूप से 'आपात्काल' शब्द को, यह सुनश्चिति करने के लिये कि यह संवधान के तहत उचित प्रतर्बिधों के साथ संरेखति हो। संभावति दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तगित अधिकारों को बनाए रखने हेतु आपात्कालीन शक्तियों के प्रयोग को सीमति करना।
- संतुलति दायतिव ढाँचा:
  - डाकघर की स्वतंत्रता और दकषता को खतरे में डाले बना दायतिव के लिये स्पष्ट नयिम नरिधारति करके उसकी जवाबदेही सुनश्चिति करना। संभावति दुरुपयोग के बारे में चतिाओं का समाधान करना और हतियों के टकराव को रोकना।
- अनधकृत उदघाटन को संबोधति करना:
  - डाक अधिकारियों द्वारा डाक लेखों को अनाधकृत रूप से खोलने को संबोधति करते हुए, वधियक के भीतर वशिषिट अपराधों और दंडों को फरि से प्रस्तुत करना। उपभोक्ताओं की नजिता के अधिकार की सुरक्षा के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापति करना जो व्यक्तियों को कदाचार, धोखाधड़ी, चोरी तथा अन्य अपराधों हेतु ज़मिमेदार ठहराए।